न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 25/2016

RCMS No.–2016/00012

1. रामनारायण पुत्र रामचन्द्र उम्र 60 वर्ष जाति रैगर
2. लालू पुत्र पुत्र रामचन्द्र उम्र 63 वर्ष जाति रैगर
3. दामा पुत्र रामचन्द्र उम्र 50 वर्ष जाति रैगर
   समस्त निवासीगण – निवासी ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. बौयथा राम पुत्र ईशरा, जाति रैगर, निवासी ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत खरकडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्व पट्टा दिनांक 13.03.1998 कथित पंचायत संकल्प संख्या 14 दिनांक 28.02.1998

उपस्थितः–

1. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विपुल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.11.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खरकडा, पं.स. जमवारामगढ द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 1 बौयथा राम पुत्र ईशरा, जाति रैगर, निवासी ग्राम खरकडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के पक्ष में ग्राम पंचायत खरकडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.03.1998 संकल्प संख्या 14 से पट्टा जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 28.07.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री विपुल शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के पत्रांक 210 दिनांक 21.09.2015 द्वारा मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया गया है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत खरकडा ने विपक्षी संख्या–एक के पक्ष में दिनांक 13.03.1998 को जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा सुस्थापित विधिक सिद्वान्तो की पालना किए बिना पट्टा जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टे पर न तो पत्रावली का नम्बर है एवं न ही पट्टे का नम्बर है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि बिना कोई पत्रावली खोले ही पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने की प्रकिया में राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है। निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 न तो निवास करता

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

है एवं न ही उसका किसी प्रकार से कब्जा है। निगरानीधीन पट्टे पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है जबकि पट्टे पर सरपंच व सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना जरूरी है। निगरानीकर्ता ने अपने मकान से 3 फीट जमीन खाली छोड रखी है। उस स्थान पर जब जून 2014 गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 निर्माण कार्य करवाने की बात कहने लगा जिस पर निगरानीकर्ताओ द्वारा मना करने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का पट्टा अपने पास होने की बात कही और कहा कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा तो सन् 1998 में ही पंचायत से बनवा लिया है। उक्त पट्टे की जानकारी होते ही निगरानीकर्तागण ने ग्राम पंचायत खरकडा में नकल का आवेदन किया। ग्राम पंचायत मे उक्त पट्टा पत्रावली सचिव द्वारा चार्ज में नहीं मिलने का कथन किया एवं सन् 1998 की रिकॉर्ड बही में रसीद संख्या 45 दिनांक 13.03.1998 को जरिये 368 रूपये होकर बही के पृष्ठ 31 पर जमा होना बताया जो गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से नजराना शुल्क जमा है। रिकॉर्ड बही की नकल निगरानीकर्ता ने प्राप्त की जिससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भूमि बेचना बाबत किया है। उक्त पट्टे संबंधी नकल प्राप्त होते ही निगरानीकर्ता ने अविलम्ब निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की है। वादग्रस्त भूमि की ओर देखते हुये निगरानीकर्ता के मकान के नाले, जाली, खिडकी, जंगले रोशनदान पिछले 50 वर्षो से खुले हुये है और निगरानीकर्ता ने अपने जमीन से 3 फीट जमीन खाली छोड रखी है जो गली के लिये है ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा छोडी गयी जमीन का भी अवैध पट्टा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के हक में जारी कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। अतः निगरानीकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के हक में दिनांक 13.03.1998 को जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन आदेश पंचायती राज के नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पारित कर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत खरकडा में पुराने पट्टो का रिकॉर्ड दीमक खाने से नष्ट हो चुका है। जिसकी फोटोग्राफ न्यायालय हाजा में पेश किए गए है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ही अपने पूर्वजो के समय से काबिज है। गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम निगरानीधीन पट्टा जारी होने की पुष्टि रोकडबही में राशि जमा होने के इन्द्राज से होती है। उक्त पट्टा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए ग्राम पंचायत खरकडा द्वारा जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से ग्राम पंचायत खरकडा के निर्णय/आदेश दिनांक 13.03.1998 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ से पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दलील है कि निगरानीकर्ता ने अपने मकान से छोडी हुई 3 फीट खाली जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत खरकडा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी कर दिया गया जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 का किसी प्रकार से कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है। जबकि विद्वान अधिकवक्ता गैर निगरानीकार का कथन है पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा नियमानुसार ही जारी किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खरकडा द्वारा जारी पट्टे पर तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव दोनो के हस्ताक्षर नहीं है एवं पट्टा संख्या भी निगरानीधीन पट्टे पर अंकित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि गैर निगरानीकार संख्या 1 का निगरानीधीन भूमि पर कब्जा हो। अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत खरकडा के शपथ पत्र में निगरानीकर्ता द्वारा पेश निगरानी में विवादित भूमि के संदर्भ में प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड नष्ट हो चुका है एवं केवल रोकड बही में निगरानीधीन पट्टे की राशि जमा होने से ये स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा वैधानिक है एवं ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम व नियमों की पालना की गई हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 बौयथाराम पुत्र ईश्वर जाति रैगर निवासी ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ के हक में आदेश दिनांक 13.03.1998 संकल्प संख्या 14 द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जाता है। साथ ही पत्रावली ग्राम पंचायत खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर मौके का निरीक्षण ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत के वार्ड पंचगण तथा संबंधित निकटवर्ती भूमियों के पट्टाधारी व्यक्तियों के समक्ष कराया जाकर एवं ग्राम पंचायत में गैर निगरानीकार संख्या एक के द्वारा राजकोष में जमा राशि के रिकॉर्ड को मध्यनजर रखते हुए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के अर्न्तगत विधिसम्मत निर्णय लेवे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ को मुताबिक निर्णय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति. कलक्टर–प्रथम,
जयपुर